AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (APEDA) (MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) 3RD FLOOR, NCUI BUILDING, 3RD SIRI INSTITUTIONAL AREA, AUGUST KRANTI MARG, (OPP. ASIAD VILLAGE), NEW DELHI.

Inviting BIDS for Engagement of Consulting Firm for Market Intelligence

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), an autonomous body of Ministry of Commerce & Industry, Government of India invites Technical and Financial bids in sealed envelop for Development and Updation of Market Intelligence.

The details of the activities are available on APEDA'S WEBSITE i.e. WWW.APEDA.GOV.IN under icons "Tender" and "Announcement".

Any Corrigendum/Addendum related to above advertisement will be hosted on APEDA's website only.

davp 05112/11/0003/1920

Secretary, APEDA

प्रस्ताव हेतु निवेदन (आर.एफ.पी)

बाज़ार अभिगमन सेल को संचालित करने हेतु
एपीडा की सुविधा के लिए

25 दिसंबर, 2019

आर.एफ.पी दस्तावेज़ जारी करने की तिथि: 25 दिसंबर 2019

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2020, 13:00 बजे

APEDA
Agricultural & Processed Food Products
Export Development Authority
Ministry of Commerce & Industry, Government of India

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016

विषय सूची

1. परिभाषाएं 6
2. प्रस्ताव हेतु निवेदन - आर.एफ.पी सूचना 6
3. अस्वीकरण 6
4. व्याख्या 7
5. नियत परिश्रम 7
6. बोली लगाने की लागत 8
7. बोली दस्तावेजों के स्पष्टीकरण 8
8. आर.एफ.पी दस्तावेज में संशोधन 8
9. बोली की भाषा 9
10. स्थल निरीक्षण.....9
11. सामान्य दिशा-निर्देश 9
12. बोलीदाता की पात्रता के मानदंड 11
13. बोलियों का मूल्यांकन 12
14. तकनीकी मूल्यांकन मानदंड 14
15. बोली मूल्य 15
16. बोलियों की वैधता की अवधि 16
17. संदर्भ की शर्तें.....16
18. तकनीकी बोली आवश्यकताएँ.....24
19. वाणिज्यिक बोली आवश्यकताएँ.....24
20. प्रदर्शन की गारंटी.....25
21. कॉपीराइट और ट्रेडमार्क.....25
22. महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं भुगतान की शर्तें.....26
23. अनुबंध निर्णय.....26
24. पुरस्कृत अनुबंध की अधिसूचना.....26
25. समझौते पर हस्ताक्षर.....26
26. अनुबंध हेतु व्यय.....26
27. अनुबंध का पालन करने में विफलता.....27

28. अनुबंध की समाप्ति.....27
29. शासी कानून.....27
30. तकनीकी लिफाफा 1 की सामग्री (तकनीकी बोली) 27
31. बोली का प्रमाणीकरण.....28
32. बोली में अंतरविरोधों की मान्यता.....28
33. बोली की मुहरबंदी और अंकन.....28
34. बोली को को प्रस्तुत करने का पता.....28
35. बोली की अस्वीकृति 29
36. विलंबित बोली.....29
37. मूल्यांकन के लिए विचार में न लाई गईं बोलियां.....29
38. व्यवसायिक बोलियों का आरंभ.....29
39. बोलियों का स्पष्टीकरण.....30
40. बोलियों की पूर्णता.....30
41. त्रुटियों का सुधार बोलियों की पूर्णता.....30
42. अप्रत्याशित घटना 30
43. विवादों का समाधान 31

1. परिभाषाएं:

“लागू कानून” से तात्पर्य है वे सभी प्रासंगिक कानून जो नियत तिथि से लागू होंगे और जिन्हें भारत में लागू किया जा सकता है या उसके प्रभाव में लाया जा सकता है और जिसे इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ के निर्वाह करने के दौरान निर्णय, फरमान, निषेधाज्ञा, न्यायालय के आदेश या आदेश के आने के पश्चात् लागू किया जा सकता है या प्रभाव में लाया जा सकता है।

“बोली दस्तावेज़” से तात्पर्य इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ और उसके बाद बोली बैठक में निर्धारित नियमों और शर्तों को समझने और सहमति देने के लिए बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ है।

“अनुबंध” से तात्पर्य एपीडा और सफल बोलीदाता के बीच किया जाने वाला समझौता है।

"मूल्यांकन समिति" से तात्पर्य एपीडा द्वारा गठित समिति।

एपीडा: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

2. प्रस्ताव हेतु निवेदन - आर.एफ.पी सूचना

2.1 एपीडा इस आर.एफ.पी को धारा 12 के अनुसार योग्य परामर्श फर्मों से वांछित सेवाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए परिचालित कर रहा है।

2.2 आर.एफ.पी दस्तावेज़ गैर-हस्तांतरणीय है।

3. अस्वीकरण

एपीडा इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ में निहित जानकारी की सटीकता, प्रामाणिकता, समयबद्धता और/ या पूर्णता के रूप में व्यक्त या निहित किसी भी प्रतिनिधित्व या निहित नहीं करता है। इसलिए, प्रत्येक बोलीदाता अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करें और इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करें।

एपीडा किसी भी प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह किसी भी बोलीदाता की लापरवाही से हुई हो या अन्यथा इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ में दिए गए कथनों पर निर्भरता से उत्पन्न हुई हो। इस दस्तावेज़ में निहित अद्यतन, संशोधन या पूरक, सूचना, मूल्यांकन या मान्यताओं के अंतर्गत किसी भी दायित्व में आए बिना एपीडा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में हो सकता है। इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ के अंतर्गत एपीडा किसी बोलीदाता का चयन करने के लिए बाध्य नहीं है और एपीडा कोई भी कारण बताए बिना सभी बोलीदाताओं या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. व्याख्या

इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क) इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ के उद्देश्य के लिए, जहाँ संदर्भ स्वीकृत है, एकवचन को बहुवचन और इसके विपरीत को शामिल करने के लिए समझा जाएगा और पुरुष-लिंग को स्त्री लिंग और इसके विपरीत को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।

ख) परिच्छेदों, व्याख्यानों या अनुसूचियों के संदर्भ अनुबंध और आर.एफ.सी डॉक्यूमेंट के परिच्छेद और व्याख्यान के संदर्भ हैं। अनुसूचियां, अनुलग्नक और परिशिष्ट इस अनुबंध का एक अभिन्न हिस्सा होंगे।

ग) शीर्षकों और उप-शीर्षों को केवल सुविधा के लिए डाला जाता है और इससे आर.एफ.पी दस्तावेज़ के निर्माण और व्याख्या प्रभावित नहीं होंगे। शब्द "शामिल" और "सहित" का संदर्भ सीमा के बिना माना जाएगा। दिन का कोई भी संदर्भ शनिवार और रविवार सहित एक कैलेंडर दिन का संदर्भ होगा।

5. नियत परिश्रम

बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस आर.एफ.पी दस्तावेज़ में सभी निर्देशों, प्रपत्रों और विशिष्टताओं की जाँच करे। आर.एफ.पी दस्तावेज़ की आवश्यकता के अनुसार बोली सटीक, पूर्ण और निर्धारित प्रारूप में हो। आर.एफ.पी दस्तावेज़ की आवश्यकतानुसार सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल होने पर या हर मामले में आर.एफ.पी दस्तावेज़ के अनुसार अप्रभावी बोली के प्रस्तुत करने का जोखिम बोलीदाता का होगा और इससे बोली की अस्वीकृति की जा सकती है। एपीडा अपने विवेक से बोलीदाता द्वारा दी गई सूचना की उपयुक्तता/पर्याप्तता का निर्धारण करने का हकदार होगा।

6. बोली लगाने की लागत

बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा और एपीडा किसी भी घटना या परिस्थिति में बोली प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

7. बोली दस्तावेजों के स्पष्टीकरण

एपीडा द्वारा आर.एफ.पी दस्तावेज़ के स्पष्टीकरण के लिए किसी भी अनुरोध का जवाब देने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया जाएगा, ऐसा अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रिया / स्पष्टीकरण लिखित रूप में संभव हो सकती है। एपीडा किसी भी देरी सहित किसी भी डाक देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

8. आर.एफ.पी दस्तावेज़ का संशोधन

बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, एपीडा द्वारा किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी भावी बोलीदाता द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण के जवाब में हो, संशोधन, बदलाव और/या उसी को पूरक करके आर.एफ.पी दस्तावेज़ में संशोधन किया जा सकता है।

बोली प्रस्तुत करने से पहले सभी परिवर्तनों को ई-मेल के माध्यम से भावी बोलीदाताओं को सूचित किया जाए। इस तरह के सभी संशोधन एपीडा की ओर से किसी और अधिनियम या विलेख के बिना उन पर बाध्यकारी होंगे।

किसी भी संशोधन की स्थिति में, एपीडा अपनी बोली तैयार करते समय संभावित बोलीदाताओं को उचित समय देने के लिए बोली को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. बोली की भाषा

बोलीदाता द्वारा तैयार बोली, साथ ही साथ आर.एफ.पी दस्तावेज़ और / या बोलीदाता और एपीडा द्वारा बोली प्रक्रिया से संबंधित विनिमय किए गए सभी पत्राचार और दस्तावेज़ केवल अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे।

10. स्थल निरीक्षण

बोलीदाता अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवश्यक विवरण एकत्र करने के लिए एपीडा मुख्यालय का दौरा कर सकता है। बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज़ों के किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि या उससे पूर्व विशिष्ट लिखित पूछताछ (ई-मेल आई.डी-harpreet@apeda.gov.in पर) प्रस्तुत की जाए। बोली संगठन से अधिकतम दो प्रतिनिधियों को स्थल निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

11. सामान्य दिशा-निर्देश

I. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि आर.एफ.पी दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें।

II. बोलीदाता द्वारा बोली के एक भाग के रूप में निविदा दस्तावेज़ विधिवत रूप से सील/मुद्रित और उसके प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जाए। यह बोलीदाता द्वारा स्पष्ट रूप स्वीकार किया जाए कि उसने आर.एफ.पी दस्तावेज़ और अन्य दस्तावेज़ों/आवश्यतकताओं को पढ़ एवं समझ लिया तथा वह उसका अनुपालन करेगा।

III. अधूरी जानकारी/दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत की गई बोलियों को अस्वीकृत किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में दिए गए नियमों, शर्तों, विशिष्टताओं और अन्य विवरणों का पालन नहीं करने वाली बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जा सकता है।

IV. आर.एफ.पी दस्तावेज़ के नियम, शर्तों और अन्य विवरणों से सभी विचलन अलग और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाएं।

V. प्रस्तुति के पश्चात् परिवर्तन या ऑफर की वापसी की अनुमति नहीं है। ऑफर की जांच, मूल्यांकन या तुलना करने के लिए एपीडा अपने विवेक से कुछ या सभी बोलीदाताओं से उनके प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकता है।

VI. इस प्रकार के स्पष्टीकरण के निवेदन और उसकी प्रतिक्रिया को आवश्यक रूप से लिखित में प्रस्तुत करना होगा।

VII. आरंभिक जांच: एपीडा द्वारा यह निर्धारित करने के लिए ऑफ़र की छानबीन की जाएगी कि - क्या वे पूर्ण हैं, क्या ऑफ़र में कोई त्रुटि तो नहीं है, क्या आवश्यक तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, क्या दस्तावेजों में ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या उत्पाद, अनुसूची के अनुसार उद्धृत किए गए हैं। एपीडा अपने विवेक से किसी भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी छोटी-मोटी अनियमितता को एक प्रस्ताव में माफ कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा और एपीडा ऐसी छूटों का अधिकार सुरक्षित रखता है।

VIII. पुरस्कृत किए जाने वाले अनुबंध का मापदण्ड: लिफाफे 1 में तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन सबसे पहले यह देखने के लिए किया जाएगा कि क्या आर.एफ.पी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और उन्हें तकनीकी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा। चयन तकनीकी और वित्तीय मानदंड दोनों पर आधारित होगा जिसमें संबंधित भार तकनीकी प्रस्ताव के लिए 70% और वित्तीय प्रस्ताव के लिए 30% होगा।

IX. आर.एफ.पी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नियम और शर्तों का पालन किया जाए। यदि बोलीदाता सशर्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो वे एकमुश्त अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे।

X. एपीडा के पास आर.एफ.पी के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार है।

XI. उन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जएगा जिनमें किसी तरह की काट-छांट की गई हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा जाए। दी जा रही सेवा की सही तकनीकी जानकारी भरी जाए।

XII. जानकारी भरते समय “ओके”, “स्वीकृत”, “नोट कर लिया”, “जैसा कि विवरणिका/नियमावली में दिया गया है” जैसे शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

XIII. एपीडा द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य किया जा सकता है।

XIV. बोलीदाता द्वारा एक सहायक के साथ एक सहायता संघ बनाया जा सकता है जिसे इस आर.एफ.पी के अंतर्गत गैर-मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए उपपट्टा दिया जाएगा। हालांकि, प्रदेय का सारा उत्तरदायित्व प्राथमिक बोलीदाता का होगा।

12. बोलीदाता की पात्रता के मानदंड

बाज़ार अनुसंधान में शामिल इच्छुक परामर्श फर्म एपीडा को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। रूचि प्रकटन को प्रस्तुत करने वाली इन एजेंसियों की अपेक्षित न्यूनतम योग्यता निम्नलिखित हैं:

i. बोलीदाता एक प्रतिष्ठित परामर्श फर्म होगा जो विश्व स्तर पर निर्धारित बाजारों में सूचना स्रोतों (ऑथेंटिकेट) तक पहुंच के साथ बाज़ार आसूचना के विकास में कार्य कर रहा हो।
ii. बोलीदाता के पास समान परामर्श क्षेत्र में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 और 2019-20 वर्षों) के दौरान प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 5 करोड़ रुपए के व्यवसायिक टर्नओवर हो।
iii. कंसल्टिंग फर्म द्वारा भारत में या विदेशों में खाद्य और कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में एक समान रूप में कार्य किया जाए।
iv. फर्म के वित्तीय लेखा परीक्षक से एक प्रमाण-पत्र को आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षित शेष राशि के साथ प्रस्तुत किया जाए।
v. बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली प्रस्ताव के साथ “एपीडा, नई दिल्ली” के पक्ष में मांग ड्रॉफ्ट के रूप में 2,00,000 रूपए (केवल दो लाख रूपए) की ब्याना जमा राशि भी प्रस्तुत की जाए। ये बोली के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 90 दिनों तक मान्य होगी। इसे सफल बोलीदाता मिलने के परिणाम के बाद वापस कर दिया जाएगा।
vi. परामर्श फर्म द्वारा भारत या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में समान क्षेत्र में समान कार्य निष्पादित किया जाए।
vii. निर्यात संवर्धन में शामिल भारतीय सरकारी संगठनों के लिए समान कार्य करने वाली एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

13. बिड्स का मूल्यांकन

I. निविदा मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी) तकनीकी बिड्स का विस्तृत मूल्यांकन करेगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनुरोध के प्रस्ताव में आगे की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं।

II. टी.ई.सी शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी प्रज़ेंटेशन के बाद तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। तकनीकी मूल्यांकन समाप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्तुति करने तक तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय टी.ई.सी को वाणिज्यिक प्रस्तावों तक कोई पहुंच नहीं होगी। वे बोलीदाता जिनके तकनीकी प्रस्ताव आर.एफ.पी दस्तावेज़ में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार पाए जाते हैं, उन्हें तकनीकी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा।

III. तकनीकी प्रज़ेंटेशन: समिति द्वारा आर.एफ.पी दस्तावेज़ में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन हेतु एक प्रज़ेंटेशन बनाने के लिए प्रत्येक बोलीदाता को आमंत्रित किया जाएगा।

IV. व्यावसायिक प्रस्ताव एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर उन फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे जिन्हें भाग लेने के लिए चुना गया है।

V. मूल्यांकन मानदंड में तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों में क्रमशः 70:30 अंकों का अनुपात होगा। बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (सी.क्यू.सी.सी.बी.एस) का अनुसरण किया जाएगा।

क) तकनीकी अनुपात (St): तकनीकी मूल्यांकन में बोलीदाता द्वारा प्राप्त अंको की गणना नीचे दिए गए 70 अंको द्वारा की जाएगी:

I. **St = T*0.70** जहां T का अर्थ है तकनीकी मूल्यांकन मानदंड के आधार पर बोलीदाता द्वारा अर्जित किए गए तकनीकी अंक

ख) वित्तीय अनुपात (Sf): वित्तीय मूल्यांकन में बोलीदाता द्वारा अर्जित किए गए अंको की गणना नीचे दिए गए 30 अंको द्वारा की जाएगी:

ग) अन्य प्रस्तावों के सभी व्यवसायिक अंको को निर्धारित किया जाएगा:

I. **Sf = 0.30 * Fm/F** (Fm = न्यूनतम मूल्यांकित निविदा लागत, F = विचाराधीन वाणिज्यिक प्रस्ताव का मूल्य)

घ) अंतिम चयन: प्रस्तावों को सम्मिलित तकनीकी (St) और व्यवसायिक (Sf) अंको के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा। सम्मिलित तकनीकी और व्यवसायिक अंक की गणना **S = St + Sf** के आधार पर की जाएगी। अधिकतम सम्मिलित तकनीकी और व्यवसायिक अंक अर्जित करने वाले फर्म को मोल-तोल के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

VI. व्यवसायिक बोली के अतिरिक्त बोली के अन्य भाग में मूल्यों को उल्लेख नहीं किया जाएगा।

VII. व्यवसायिक बोली में यदि अंको में लिखे मूल्य और शब्दों में लिखे मूल्य में किसी प्रकार की असंगति/अंतर है तो शब्दों में लिखे हुए मूल्य को सही माना जाएगा।

VIII. पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोलियाँ: एक पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोली वह है जो प्रस्ताव के लिए अनुरोध की सभी आवश्यकताओं, नियम, शर्तों और विशिष्टताओं के अनुरूप है।

IX. बोलीदाता द्वारा बोलीदाता मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास से बोलीदाता की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

14. तकनीकी मूल्यांकन मानदंड

14.1 बिडिंग की प्रक्रिया दो-स्तरीय प्रक्रिया होगी। तकनीकी बोली के विस्तृत मूल्यांकन से पहले, एपीडा यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक बोली क्या:

क) सभी प्रकार से पूर्ण है
ख) आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ है और
ग) आर.एफ.पी दस्तावेज़ में निर्धारित आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी है।

14.2 तकनीकी मूल्यांकन मानदंड को मोटे तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

क्र.सं.	**मूल्यांकन मानदंड**	**अधिकतम अंक**
1	सरकारी या निजी डोमेन में समान 20 सेवाएं प्रदान करने में परामर्श फर्म का अनुभव। समान प्रकृति के 2 से अधिक प्रोजेक्ट्स - 20 अंक समान प्रकृति के 1 से अधिक प्रोजेक्ट्स - 10 अंक समान प्रकृति का 1 प्रोजेक्ट - 5 अंक	20
2	एपीडा के उद्देश्यों की समझ	20
3	प्रस्तावित कार्यप्रणाली और निष्पादन योजना	20
4	प्रस्तावित बैकएंड टीम अनुभव और विशेषज्ञता (केवल वे जो पूर्णकालिक कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट हेतु बोलीदाता द्वारा साझा किए जाए)	20
5	प्रस्तावित टीम का संक्षिप्त विवरण	20
कुल		**100**

- **अधिकतम 100 अंक अर्जित किए जा सकते हैं। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोलियाँ खोली जाएंगी जो तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों में 60 अंकों से अधिक / बराबर स्कोर करती हैं।**

- **तकनीकी बोली में सभी सहायक दस्तावेज़ों (कार्य आदेशों/प्रमाण-पत्रों) को संलग्न किया जाए।**

14.3 यदि आवश्यक समझा जाए, तो एपीडा द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के लिए मापदंड सहित तकनीकी मूल्यांकन के लिए कट ऑफ अंक में आवश्यक बदलाव किया जा सकता है।

14.4 निविदा मूल्यांकन आयोग: एपीडा द्वारा निविदा मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन करेगी।

14.5 निविदा मूल्यांकन आयोग किसी भी या सभी बोलीदाताओं के साथ तकनीकी मोल-तोल करने का विकल्प चुन सकता है। तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन में मूल्यांकन समिति का निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

14.6 निविदा या अवार्ड निर्णयों की निविदा मूल्यांकन समिति के प्रसंस्करण को प्रभावित करने के लिए एक बोलीदाता के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

14.7 आर.एफ.पी/अनुबंध के नियम एवं शर्तों के साथ सहमत ना हो पाने पर बोलीदाता को दिया जाने वाले अनुबंध की असफलता की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी जिससे अगले सबसे उत्तरदायी बोलीदाता को अनुबंध दिया जा सकता है।

15. बोली का मूल्य

15.1 इस आर.एफ.पी दस्तावेज में संलग्न बोली प्रारूप में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए मूल्य अर्थात् प्रस्ताव को बोलीदाता द्वारा किया जाए। वित्तीय प्रस्ताव इस दस्तावेज़ और साइट की शर्तों के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है।

15.2 बोलीदाता द्वारा कार्य के सफल समापन के लिए आवश्यक उन सभी प्रकार के बकाया जैसे कर और अन्य सांविधिक बकाया के भुगतान शामिल किए जाएं जिन्हें विशेष रूप से विनिर्देश में उल्लेख नहीं किया गया। बोलीदाता ऐसे भुगतानों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि बोली दस्तावेज में कोई अतिरिक्त शुल्क उल्लिखित नहीं है, यदि कोई शुल्क उल्लिखित होता है तो उसे बोलीदाता द्वारा ही भुगतान किया जाएगा।

15.3 सभी दायित्व, जो भी कॉपी राइट या किसी अन्य कारण से दिए गए हैं उनका बोलीदाता द्वारा वहन किया जाए।

15.4 कोई भी रॉयल्टी या पेटेंट या सामग्री, चित्र, सॉफ्टवेयर आदि के उपयोग के लिए शुल्क जिसे अनुबंध में शामिल किया जा सकता है उसका एपीडा द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. बिड्स की मान्यता की अवधि

16.1 **मान्यता अवधि:** एपीडा द्वारा निर्धारित बोली खुलने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए मान्य रहेगी। एपीडा बिना किसी पत्राचार के 180 दिनों से कम की अवधि के लिए मान्य बोली को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

16.2 **मान्यता की अवधि का विस्तार:** असाधारण परिस्थितियों में, एपीडा बोलीदाता की मान्यता की अवधि के विस्तार के लिए सहमति दे सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रिया उपचार लिखित रूप में किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा मान्यता अवधि का विस्तार बिना शर्त होगा।

16.3 मान्यता के लिए स्वीकृत बोलीदाता को उसकी तकनीकी या वाणिज्यिक बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. संदर्भ की शर्तें

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत निर्यात संवर्धन संगठन है। इसे अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के संवर्धन एवं विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कृपया अधिक जानकारी के लिए एपीडा की वेबसाइट (www.apeda.gov.in) पर जाएं।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक निर्यात के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की संभावनाओं की खोज करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एपीडा द्वारा वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 30 बिलियन अमरीकी डॉलर के मौजूदा मूल्य से बढ़ाकर 60 बिलियन अमरीकी डॉलर करने का आदेश दिया गया है। इस तथ्य की सराहना करते हुए कि भारत विश्व के अधिकांश कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन इसके बावजूद, वैश्विक निर्यात में इसका स्थान संतोषजनक नहीं रहा है। इस अंतर की प्रमुख चुनौतियों में से एक कृषि मूल्य श्रृंखला में इससे जुड़े लोगों के बीच बाज़ार की उस जानकारी का आभाव है जो इन हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए निर्यातक, व्यापारी और नीति निर्माताओं को सहायता करे और कृषि आयात / खपत करने वाले देशों में उभर रहे अवसरों का समय पर लाभ उठा सकें।

इस पृष्ठभूमि पर एपीडा का लक्ष्य एक गतिशील बाज़ार आसूचना सेल (एम.आई.सी) बनाना है जो एपीडा को निर्यात ब्याज की कृषि वस्तुओं के निर्यात के अवसरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मापदंडों पर रियल टाइम इवेंट्स को कैप्चर करेगा। एम.आई.सी के संचालन की सुविधा के लिए अनुभवी परामर्श फर्मों (यहाँ में परामर्श फर्म के रूप में संदर्भित) से प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है।

17.1 कार्य का क्षेत्र

व्यापक रूप से परामर्श फर्म को एपीडा के लिए बाज़ार आसूचना सेल की स्थापना करने में सहायता करने की आवश्यकता होती है जिससे अपने अनुभवी कार्मिकों एवं उनके सूचना नेटवर्क (केवल प्रामाणिक स्रोतों से) के संयोजन का उपयोग करके, नियमित आधार पर निम्नलिखित विश्लेषणात्मक जानकारी/रिपोर्ट वितरित की जा सके और एपीडा उत्पादों के बाज़ार आसूचना पर कार्यवाई करने वाले करने वाले इनपुट उत्पन्न करने के लिए दिन-प्रतिदिन के काम में एपीडा की सहायता करने वाले दो संसाधनों की एक ऑनसाइट टीम को तैयार करें, एक साप्ताहिक बुलेटिन और नियमित बाज़ार आसूचना रिपोर्ट तैयार करें:

क. एपीडा के हितधारकों के लिए क्रियाशील इनपुट प्रदान करने वाली गतिशील जानकारी

यह आवश्यकता परामर्शदाता फर्म को किसी भी इवेंट को कैप्चर और रिपोर्ट करने की मांग करती है जो निर्धारित बज़ारों में निर्यात के अवसरों पर प्रभाव डालती है।

क) उपभोक्ता देशों में मौसमी/ जलवायु परिवर्तन/ प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप निर्धारित फसल के स्थानीय उत्पादन में गिरावट और मांग में अचानक उछाल आता है
ख) आयातक देश में सामाजिक राजनीतिक स्थिति
ग) एस.पी.एस आवश्यकताओं में परिवर्तन
घ) एम.एफ.एन टैरिफ संरचनाओं में परिवर्तन
ङ) उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन
च) व्यापार समझौतों के ज़रिए उभरते हुए अवसर
छ) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव
ज) और कोई अन्य कारक जो उपभोग करने वाले देशों में मांग को प्रभावित करे
झ) अन्य प्रासंगिक जानकारी।

ख. विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

पारंपरिक और मौजूदा निर्यात बाजारों में कृषि निर्यात को बढ़ाने एवं नए और उभरते बाजारों की खोज पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना

क. आपूर्ति पक्ष के कारक (घरेलू)

i. चयनित उत्पादों के लिए पूरे भारत में उत्पादन क्षेत्रों का खाका बनाना
ii. क्षेत्रों में निर्धारित उत्पाद के लिए विशिष्ट प्रजातियां / किस्में
iii. इन उत्पादों की विविधता के बारे में जानने और उपभोग करने वाले देशों में अंतिम उपयोग के साथ प्रतिचित्रण
iv. घरेलू मापदण्डों के साथ आयातक देशों के एस.पी.एस मानकों का प्रतिचित्रण
v. निर्यात हेतु उत्पादों के मौसम और आपूर्ति के पोषण का प्रतिचित्रण
vi. पूरे भारत में कृषि कमोडिटी की कीमतों का प्रतिचित्रण

ख. मांग पक्ष के कारक (अंतर्राष्ट्रीय)

i. सूचीबद्ध उत्पाद के लिए सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाज़ारों के साथ देशों को खोजना;
ii. यह निर्धारित करना कि कौन से विदेशी बाज़ार सबसे अधिक प्रवेशनीय एवं लाभदायक होंगे;
iii. सही उत्पाद-बाज़ार मिश्रण और बाद के मूल्यांकन की पहचान करना;
iv. प्रत्येक देश की आयात शुल्क संरचना और गैर-टैरिफ बाधाएं
v. इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार समझौतों को निर्धारित करना
vi. मौजूदा और उभरते हुए टी.आर.ए के माध्यम से उभरते अवसरों की खोज करना
vii. उपभोक्ता देशों को निर्धारित करने में उपभोक्ताओं का प्रतिचित्रण
viii. क्लस्टरों में निर्यात संवर्धन उपायों को शामिल करना
ix. विदेश व्यापार नीति और संबंधित योजनाओं के आधार पर सरकारी सहायता
x. उत्पाद अनुपालन और मानक
xi. बाज़ार प्रवेश कार्यनीति
xii. पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्किंग और अभिज्ञान विनिर्देश

उपरोक्त प्रदेय उत्पादों को निम्नलिखित तरीके से उत्पादित किया जाएगा:

1. एपीडा परामर्श फर्म द्वारा अध्ययन एवं रिपोर्ट की तैयारी करने के लिए 30 कमोडिटी और 30 देशों की सूची उपलब्ध की जाएगी। परामर्श फर्म को अंतिम कमोडिटीज़ की सूची पर इनपुट प्रदान करने की भी आवश्यकता है। प्रत्येक उत्पादों के लिए परामर्श फर्म द्वारा बाज़ार आसूचना पर कार्रवाई योग्य इनपुट्स जेनरेट करने के लिए एपीडा की दिन-प्रतिदिन सहायता करना।

2. परामर्श फर्म को रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होते हैं।

- वैश्विक संदर्भ और परिप्रेक्ष्य: व्यापार (अंतर्राष्ट्रीय) को प्रभावित करने वाले मांग पक्ष कारक; व्यापार (घरेलू) को प्रभावित करने वाले आपूर्ति पक्ष के कारक; वैश्विक व्यापार पर्यावरण।

- स्थानीय संदर्भ: लक्षित देश की आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत से उत्पादों के लिए संभावित बाज़ार निवेश की विस्तृत समझ; देश में निर्धारित उत्पाद क्षेत्र; व्यापार नीति; कानूनी एवं विनिमायक परिवेश; वर्तमान विकास और परिवर्तन। निर्धारित उत्पाद क्षेत्र के संबंध में बाज़ार में प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण कारक।

- बाज़ार अध्ययन: ऐतिहासिक बाज़ार प्रचलन सहित लक्षित बाज़ार में निर्धारित उत्पादों के लिए बाज़ार आकार और खंडों / उप-खंडों का अध्ययन; उद्योग SWOT विश्लेषण; विकास दर, विश्लेषणात्मक के पूर्ण सेट के साथ पैटर्न में परिवर्तन और व्यावहारिक दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए बाजार मूल्यांकन प्रदान किया जाएगा:

    क) निर्धारित उत्पादों, लक्षित देश में उत्पादों का मांग आपूर्ति परिदृश्य

    ख) उत्पादन एवं उपभोग आंकड़ें

    ग) इकाई मूल्य, खुदरा मूल्य और मार्जिन

    घ) आयात की मात्रा (उत्पाद वार)

    ङ) मूल्य निर्धारण सूचना के स्रोत

च) व्यापार और वितरण चैनल सहित बी2बी, बी2सी, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और विकासशील देशों आदि से आयात का विश्लेषण।

- उपभोक्ता परिज्ञान: उपभोक्ता लाइफस्टाइल और ज़रूरते; आय प्रोफाइल; प्रयोज्य आय; व्यय प्रकार और अन्य महत्वपूर्ण मानदण्ड जैसे क्रय व्यवहार, क्रय प्रकार, जनसांख्यिकीय कारक,

- भारत बनाम लक्षित बाज़ार: एच.एस कोड के आधार पर एक जैसे अन्य प्रतियोगियों के प्रतिकूल लक्षित देश के लिए भारत से निर्धारित उत्पादों के उत्पादों का विश्लेषण।

क. प्रमुख उत्पाद (उत्पाद श्रेणी) मूल्य और मात्रा वार

ख. प्रमुख आपूर्ति करने वाले देशों और भारत की स्थिति और इसके लिए विश्लेषण

ग. संकेतक इकाई-मूल्य विश्लेषण

घ. लागू कर/अतिरिक्त कर वसूल करना

ङ. भारत के साथ हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों का विश्लेषण।

च. भारत से उत्पन्न माल के लिए लागू टैरिफ संरचना

छ. भारत और प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ व्यापार समझौतों का विश्लेषण।

ज. अब तक हस्ताक्षर किए गए समझौतों के विस्तृत गुण-दोष और निर्धारित उत्पाद क्षेत्र के लाभ के लिए परिवर्तन के सुझाव।

झ. निम्नलिखित सहित लक्षित देश में उद्योग के नियमों, व्यापार आवश्यकताओं, बाधाओं, लाइसेंस, मंजूरी, अनुमति, लागू कर्तव्यों का अध्ययन और विश्लेषण करें:

i. पैकेजिंग और लेबलिंग की आवश्यकताओं पर विशेष बल

ii. अनिवार्य प्रमाण-पत्र और परीक्षण नियम

iii. अन्य देशों के साथ लक्षित देश के व्यापार समझौतों सहित समझौते की प्रकृति, एच.एस कोड विनिमय

iv. सैनिटरी और फाइटोसैनिट्री (एस.पी.एस) उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टी.बी.टी), यदि कोई हो

v. भारत बनाम प्रतियोगी प्रदर्शन अध्ययन।

- कारक एवं सीमाएं: लक्षित देश में लागू प्रमुख उद्योग नियमों, व्यापार आवश्यकताओं, बाधाओं, लाइसेंस, मंजूरी, परमिट, सीमा शुल्क और कर्तव्यों का विश्लेषण करें:

  क) पैकेजिंग और लेबलिंग की आवश्यकताओं पर विशेष बल

  ख) अनिवार्य प्रमाणीकरण और परीक्षण अधिनियम

  ग) अन्य देशों के साथ लक्षित देश के व्यापार समझौतों सहित समझौते की प्रकृति, एच.एस कोड विनिमय

  घ) सैनिटरी और फाइटोसैनिट्री (एस.पी.एस) उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टी.बी.टी), यदि कोई हो

- इंसेंटिव्स और लाभ: वित्तीय इंसेंटिव्स, वेयरहाउसिंग सुविधाओं, टैरिफ संबंधित लाभ आदि सहित लक्षित देश के साथ व्यापार को बढ़वा देने के एफ.टी.पी और भारत में उपलब्ध उल्लिखित योजनाओं, नीतियों और इंसेंटिव्स का अध्ययन करें।

- द्विपक्षीय व्यवस्थाएं और व्यापार सुविधाएं: भारत के लिए सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता (जी.एस.पी) योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें और यदि इसी प्रकार की योजना को प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा भी प्रस्तावित किया जा रहा हो तो निर्धारित उत्पादों के संदर्भ में एफ.टी.ए, सी.ई.सी.ए/सी.ई.पी.ए का विश्लेषण करें और व्यापार के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लाभ को समझें।

- व्यापार संवर्धन के लिए चैनल और संघ: निम्नलिखित सहित उपलब्ध बाज़ार आसूचना का विश्लेषण और अध्ययन करें:

क) सक्रिय चेम्बर और व्यापार संघों

ख) उत्पाद श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापार डेटाबेस

ग) प्रमुख व्यापार पत्रिकाएं/ व्यापार प्रकाशन

घ) उत्पाद श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापार पोर्टल

ङ) रिटेल स्टोर्स / डिपार्टमेंटल स्टोर्स का विवरण

च) उत्पाद श्रेणी से संबंधित विदेशी आयातकों का विवरण

छ) व्यापार मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्पाद का विवरण

ज) व्यापार मेले भागीदार परामर्श बोर्ड और मेला प्राधिकारी

- निर्यात और लिंकेज विकसित करने की कार्य योजना: भारत और 30 लक्षित देशों में के 30 निर्धारित उत्पादों के निर्यात में व्यवसाय विकास और वृद्धि के लिए एक कार्यान्वयन कार्य योजना का सुझाव दिया जाएगा।

3. विभिन्न गतिविधियों में एम.आई.सी की सहायता से एपीडा में एक ऑनसाइट परामर्शदाता का परिनियोजन:

i. पूर्णकालिक आधार पर एपीडा मुख्यालय, दिल्ली में अपेक्षित अनुभव (जैसा कि अगले अनुच्छेद में उल्लेखित है) के साथ एक सलाहकार उपलब्ध किया जाए।

ii. सलाहकार अपनी परामर्श फर्म टीम से प्राप्त जानकारी और अपने स्वयं के शोध के आधार पर, दैनिक रूप से कार्रवाई योग्य गतिशील बाजार आसूचना जानकारी बनाएगा।

iii. ऑनसाइट सलाहकार द्वारा दैनिक आधार पर एपीडा एम.आई.सी सेल द्वारा नियत की गई रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।

iv. सलाहकार द्वारा दैनिक आधार पर एपीडा एम.आई.सी सेल द्वारा नियत की गई रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।

v. साप्ताहिक बुलेटिन तैयार करना और उसे प्रमुख हितधारकों के बीच वितरित करना।

vi. विभिन्न इनिशिएटिव्स और डाटा/रिपोर्ट जेनरेट करने में एम.आई.सी को परामर्श देना।

vii. विभिन्न कमोडिटीज़/ प्रचलन/ देशों आदि का डेटा विश्लेषण।

viii. प्रमुख अनुभवियों की अपेक्षित आवश्यकता।

क्र.सं.	**संसाधन प्रकार**	**अपेक्षित शैक्षिक योग्यता**	**अपेक्षित न्यूनतम अनुभव**	**एपीडा में प्रमुख वितरणयोग्य**
1	सलाहकार (खाद्य और कृषि व्यापार)	अर्थशास्त्र/कृषि/ अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस में एम.बी.ए/ स्नातकोत्तर	8-10 वर्ष	एपीडा द्वारा अपेक्षित मांग/ आपूर्ति/ मार्केट डाइनामिक्स/एस.पी.एस एवं टी.बी.टी प्रभाव/ डब्ल्यू.टी.ओ मुद्दों/ प्रमुख उत्पादों और बाज़ारों का व्यापार विश्लेषण और विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को तैयार करना। साप्ताहिक बुलेटिन को तैयार और सुनिश्चित करना।

- ऑनसाइट सलाहकार, कार्य के क्षेत्र में उल्लेखित गतिविधियों के लिए इंस्टॉलेशन उपकरण के साथ अपने लैप्टॉप लाएं।
- श्रमशक्ति को उपरोक्त न्यूनतम योग्यता और अनुभव के अनुसार कार्यरत किया जाए है।
- यदि किसी व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, तो एपीडा के पास श्रमशक्ति को बदलने का अधिकार है।
- एपीडा द्वारा सलाहकार को बदलने का अनुमोदन दिया जाएगा।
- ऑनसाइट सलाहकार द्वारा कार्य करने में सक्षम न होने पर या उसके अप्रत्याशित रूप से देर होने पर परामर्श फर्म द्वारा उपयुक्त विशेषज्ञ को भेजने का कार्य किया जाएगा।
- तकनीकी प्रस्ताव में सलाहकार का विस्तृत बायोडाटा संलग्न किया जाए।

17.2 कार्य पूरा होने पर प्रस्तावित अनुसूची

आरंभ में अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। वार्षिक आधार पर संतोषजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

18. तकनीकी बिड्स की आवश्यकताएं

तकनीकी बिड्स में शामिल हों:

क) इस दस्तावेज़ में उल्लेखित पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड को सत्यापित करने वाले सभी सहायक दस्तावेज़।

ख) एपीडा की आवश्यताओं के समझने के लिए एक अवधारणा टिप्पणी।

ग) प्रस्तावित कार्यप्रणाली जिसमें कार्य योजना, महत्वपूर्ण उपलब्धियां आदि शामिल हो।

घ) कार्यरत की जाने वाली टीम के सदस्यों की प्रोफाइल।

ङ) कोई भी अन्य जानकारी जिसे प्रोजेक्ट हेतु रूचि के लिए विचार में लाया जा सकता है।

19. व्यवसायिक बिड्स की आवश्यकताएं

क) परामर्श फर्म द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में व्यवसायिक बोली को प्रस्तुत किया जाए:

क्र.सं.	**गतिविधि**	**अवधि**	**एकमुश्त शुल्क (सभी प्रकार के करों सहित)**
1	निम्नलिखित वितरणयोग्य के लिए वार्षिक लागत: I. स्कोप में उल्लेखित सभी मापदंडों के लिए रिपोर्ट जनरेशन की ओर अनुसंधान और विश्लेषणात्मक सेवाएँ। II. बाज़ार आसूचना सेल के दिन-प्रतिदिन के संचालन में एपीडा की सहायता करने के लिए आर.एफ.पी में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता के साथ एपीडा में एक ऑनसाइट कार्यरत सलाहकार।	वार्षिक	

टिप्पणी:

- परामर्श फर्म को रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसी भी तृतीय-पक्ष सदस्यता के लिए लागत शामिल करना आवश्यक है। एपीडा द्वारा उल्लिखित राशि (कुल राशि) के अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- आवश्यकता होने पर एपीडा द्वारा किसी भी बाह्य स्थान (दिल्ली एन.सी.आर के बाहर) के लिए भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सलाहकार को एपीडा से पूर्व-अनुमोदन लेना होगा।

- ऑनसाइट सलाहकार, कार्य के लिए अपना लैप्टॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य उपकरण अपने साथ लाएं।

- निविदा में उल्लिखित वितरणयोग्य को व्यापक शोध, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी। अत: वितरणयोग्य वस्तुओं के लिए परामर्श फर्म के भीतर अनुभवियों के समूह की उपलब्धता और निष्ठा की आवश्यकता होगी। इसलिए परामर्श फर्म से अनुरोध किया जाता है कि वे ऑनसाइट सलाहकार के अतिरिक्त अपनी बैक-ऑफ़िस टीमों की आवश्यक सेवाओं के लिए भी लागत लें।

- परामर्श फर्म द्वारा एपीडा प्रबंधन के साथ किसी भी प्रसार/ चर्चा के लिए एक वरिष्ठ अनुभवी की नियुक्ति की जाए।

20. निष्पादन गारंटी

वार्षिक अनुबंध मूल्य के 5% के प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में एक सुरक्षा जमा पुरस्कृत अनुबंध के 1 महीने के भीतर एपीडा को सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अनुबंध के अनुसार बैंक गारंटी का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा।

21. कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स

सफल बोलीदाता को कॉपीराइट और बौद्धिक स्वामित्व के उद्देश्य के लिए एपीडा को पूरे डेटा/ जानकारी/ रिपोर्टें/ डेटाबेस देना होगा।

22. महत्वपूर्ण उपलब्धियां और भुगतान की शर्तें

एपीडा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

- तिमाही आधार पर, चालान प्रस्तुत करने और वितरणयोग्य की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात भुगतान किया जाएगा।

23. पुरस्कृत किया जाने वाला अनुबंध

एपीडा को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने / अस्वीकार करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त एपीडा बोली के पूर्ण या भाग को स्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने / रद्द करने और पुरस्कृत अनुबंध से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24. पुरस्कृत अनुबंध की अधिसूचना

एपीडा द्वारा सफल बोलीदाता को कार्य के लिए पत्र या फैक्स के माध्यम से अधिसूचना दी जाएगी। बोलीदाता, लिखित रूप में कार्य आदेश को स्वीकार करेगा और कार्य आदेश की प्राप्ति से 7 (सात) दिनों के भीतर लिखित रूप में कार्य आदेश की स्वीकृति भेजेगा।

25. समझौते पर हस्ताक्षर

बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के आधार पर बोलीदाता और एपीडा स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुबंध के अंतर्गत आ जाएंगे और अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले एपीडा को सफल बोलीदाता के साथ कुछ शर्तों पर बातचीत करने का अधिकार होगा।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही अनुबंध मिल जाएगा और बोलीदाता द्वारा अनुबंध में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन की शुरुआत की जाएगी।

26. अनुबंध हेतु व्यय

अनुबंध / समझौते के निष्पादन के सभी आकस्मिक व्यय पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे और ऐसी राशि को एपीडा द्वारा सफल बोलीदाता को वापस नहीं किया जाएगा।

27. अनुबंध का पालन करने में विफलता

अनुबंध में निर्धारित की गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए और बोली दस्तावेज और अनुबंध के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना किसी शर्त के एपीडा के अधिकारों के आधार पर अनुबंध को रद्द कर दिया जाएगा।

आर.एफ.पी दस्तावेज, बोली अनुबंध या समझौते में रखी गई शर्तों और नियमों का पालन करने में विफलता के फलस्वरूप अनुबंध की समाप्ति के मामले में, बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।

28. अनुबंध की समाप्ति

एपीडा द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के पक्षपात के बिना, कोई कारण बताए बिना अनुबंध को पूर्णत: समाप्त किया जा सकता है, यदि:

क) योग्य बोलीदाता अनुबंध के अंतर्गत किसी भी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल होता है।

ख) बोलीदाता द्वारा इस अनुबंध में प्रतिनिधित्व और दस्तावेजों से संबंधित सामग्री का उल्लंघन किया जाए।

ग) कोई भी विनियामक आवश्यकता या अप्रत्याशित परिस्थितियां जो एपीडा को अनुबंध को निलंबित करने या रद्द करने के लिए बाध्य करती हैं।

29. शासकीय कानून

भारतीय गणराज्य के कानून द्वारा आर.एफ.पी दस्तावेज़ और अनुबंध को नियंत्रित किया जाएगा।

30. तकनीकी लिफाफा 1 की विषय सूची (तकनीकी बोली)

क) लेटर हेड पर बोली आवेदन

ख) प्रस्तुति जांचसूची

ग) आर.एफ.पी दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों की स्वीकृति के संबंध में उत्तरदायित्व पत्र

घ) तकनीकी प्रस्ताव

31. बोली ऑथेन्टिकेशन

बोलीदाता को अनुबंध से जोड़ने के लिए बोली दस्तावेज की मूल और सभी प्रतियों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अधिकृत रूप से सील और हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऑथोराइज़ेशन पत्र के साथ बोली दस्तावेज़ सहित विधिवत रूप से स्टैम्प की गई पॉवर ऑफ एटोर्नी को संलग्न किया जाएग।

बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति बोली दस्तावेज के सभी पन्नों को शुरू करेंगे, जिसमें वे पृष्ठ भी शामिल हैं जहाँ प्रविष्टियाँ या संशोधन किए गए हैं।

32. बोली में अंतरविरोधों की मान्यता

कोई अंतःविषय, विलोपन, परिवर्तन, परिवर्धन या अधिलेखन केवल तभी मान्य होगा यदि बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों ने हस्ताक्षर और स्टैम्प के साथ प्रमाणिकता प्राप्त की हो।

33. बोली की मुहरबंदी और अंकन

तकनीकी बोली की प्रत्येक प्रति को स्पष्ट रूप से "तकनीकी बोली" चिन्हित लाह बंद लिफाफे 1 में रखा जाए। व्यवसायिक बोली को स्पष्ट रूप से "व्यवसायिक बोली, तकनीकी बोली के साथ ना खोलें" चिन्हित कर पृथक लाह बंद लिफाफे 2 में रखा जाए। इसके बाद इन दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे के अंदर रखा जाए जिसे उपयुक्त रूप से "एपीडा हेतु बाज़ार अभिगमन स्थापना" चिन्हित कर लाह बंद किया जाए।

34. बोली प्रस्तुति करने हेतु पता

सभी प्रकार से पूर्ण बिड्स को **15 जनवरी, 2020** (अंतिम तिथि) तक निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किया जाए:

सचिव एपीडा
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग
अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, हौज खास
नई दिल्ली - 110016 (भारत)

बोलीदाता के उत्तरदायित्व

यदि बाहरी लिफाफे को आवश्यक रूप से सील और चिह्नित नहीं किया जाता है, तो एपीडा द्वारा बोली के खो जाने या समय से पहले खोले जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी।

35. बोली की अस्वीकृति

बोली दस्तावेज़ मुद्रित दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया जाए। टेलेक्स, फैक्स या ईमेल द्वारा सबमिट की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई भी स्थिति जहां बोलीदाता द्वारा बोली की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता वहां इस प्रकार की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

36. विलंबित बोली

एपीडा द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त की गई बोलियों को एपीडा द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। एपीडा किसी भी डाक देरी या दस्तावेजों की गैर-रसीद / गैर-डिलीवरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

37. मूल्यांकन के लिए विचार में न लाई गईं बोलियां

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान खारिज की गई बोलियों को किसी भी परिस्थिति में आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

38. व्यवसायिक बोलियों का आरंभ

व्यवसायिक बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् खोला जाएगा। व्यवसायिक बोली को खोलने के समय एपीडा द्वारा बोलीदाता का नाम, बोली का मूल्य, प्रत्येक बोली की कुल राशि आदि की घोषणा की जाएगी।

वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान के बारे में अलग से सूचीबद्ध बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

39. बोलियों का स्पष्टीकरण

बोली के मूल्यांकन, तुलना और परीक्षण में सहायता करने के लिए, एपीडा अपने विवेकाधिकार पर बोलीदाता से दरों के अलग-अलग आंकड़ों सहित बोली के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न कर सकता है। यदि अनुरोध में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलता है, तो एपीडा बोलीदाता के कुल जोखिम और लागत पर अपनी उचित धारणा बनाने का अधिकार रखता है।

40. बोलियों की पूर्णता

एपीडा द्वारा यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या वे आर.एफ.पी दस्तावेज़ और तकनीकी विशिष्टताओं की सभी शर्तों को पूरा कर रही हैं, क्या कोई कम्प्यूटेशनल त्रुटियां की गई हैं, क्या आवश्यक निश्चितताओं को सुसज्जित किया गया है, क्या दस्तावेजों को ठीक से हस्ताक्षरित किया गया है या नहीं क्या बोली दस्तावेज आर.एफ.पी दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं।

41. त्रुटियों का सुधार

निम्नलिखित आधार पर अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाएगा:

यदि शब्दों और आंकड़ों में दरों के बीच विसंगति है तो शब्दों में लिखित दर को सही माना जाएगा।

42. अप्रत्याशित घटना

क) इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान यदि किसी भी समय इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी दायित्व में पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, हमले, तालाबंदी, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंधों के कार्य के कारणों (इसके बाद के घटनाक्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है) से रोका या विलंबित किया जाता है तो ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की सूचना बोलीदाता द्वारा एपीडा को घटना की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर दी जाए। इस अनुबंध के अंतर्गत इस तरह की घटना के कारणों से न तो पार्टी इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी और न ही ऐसे गैर-प्रदर्शन के संबंध में क्षतिपूर्ति या प्रदर्शन में देरी के लिए कोई दावा किया जा सकेगा।

ख) बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के अंतर्गत बोली लगाने वाले या किसी भी दायित्व के द्वारा पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन को रोका जाता है और इस प्रकार का विलम्ब यदि 30 (तीस) दिनों से अधिक की अवधि लेता है तो एपीडा द्वारा लिखित में सूचना के ज़रिए इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

43. विवाद समाधान

विवाद समाधान तंत्र निम्नानुसार होगा:

क) एपीडा और सफल बोली लगाने वाले के बीच किसी भी विवाद के मामले में, यदि इसका समाधान नहीं किया जाता है, तो इसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निर्णय / मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

ख) यदि ऐसा विवाद उत्पन्न होता है, तो या तो पक्ष अन्य पक्ष को इस तरह के विवाद के बारे में लिखित रूप में नोटिस दे सकता है और भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थ के निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

ग) अध्यक्ष एपीडा एक मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत अधिकारी नियुक्त करेगा।

घ) मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों अर्थात् एपीडा और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

ङ) जहां तक कानूनी और अदालती मामलों का संबंध है, सभी अनसुलझे विवादित मामलों में नई दिल्ली का क्षेत्राधिकार होगा।